कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
जोन क्र. 04 शिवाजी नगर
Email :- zonefourbhilai@rediffmail.com zonefourbhilaiz4@gmail.com

क्र./जो.आ./शि.न./जोन–04/2024/634 भिलाई, दिनांक– 18/10/2024

प्रति,

जनसम्पर्क अधिकारी,
नगर पालिक निगम,
भिलाई

विषयः– रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आंमत्रण सूचना का प्रकाशन बाबत्।

——00——

नगर पालिक निगम भिलाई में जोन क0–4 से संबंधित संलग्न रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आंमत्रण सूचना का प्रकाशन नियमानुसार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशित विज्ञापन की प्रति उपलब्ध करावें ।

संलग्नः–1. आफर आमंत्रण सूचना की प्रति

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर जोन–04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.क./जो.आ./शि.न./जोन–4/2024/635 भिलाई, दिनांक 18/10/2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रोग्रामर, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर को सूचनार्थ एवं www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करेगें ।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर जोन–04
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन क्रमांक – 04 शिवाजी नगर

रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रण सूचना

क्र/लो.क.वि./जो–4/2024/634 भिलाई दिनांक–18/10/2024

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत "जोन क्रमांक –04 शिवाजी नगर अंतर्गत छावनी स्थित मुक्तिधाम में वार्षिक संचालन एवं रख–रखाव कार्य" हेतु भिलाई नगर पालिक निगम, भिलाई में पंजीकृत "सिटी लेवल फेडरेशन/एरिया लेवल फेडरेशन" से रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर की दो लिफाफा पद्धति से दिनांक–06.11.2024 तक आमंत्रित किया जाता है। ऑफरदाताओं को लिफाफा 'अ' में निविदा शुल्क राशि रू. 750.00 का डी.डी. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं धरोहर राशि रू. 15,000.00 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. के रूप में कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं ऑफरदाता के संयुक्त नाम के साथ संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर, GST प्रमाण पत्र इत्यादि की (नोटरी/स्वंय द्वारा) सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा एवं लिफाफा 'ब' में वित्तिय आफर के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त ऑफर लिफाफा "अ" आगामी कार्यालयीन दिवस को समय प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी। निर्धारित निविदा शुल्क धरोहर राशि एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत लिफाफा 'ब' वित्तिय आफर खोला जावेगा। ऑफर खोले जाने के समय ऑफरदाता/उनके अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित रह सकते है।

नियम शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन समय में कार्यपालन अभियंता, जोन – 4 शिवाजी नगर, नगर पालिक निगम, भिलाई में की जा सकती है तथा नियम शर्तो एवं कार्यो की जानकारी नगर पालिक निगम, भिलाई के वेब साईट **www.bhilainagarnigam.com** से दिनांक 29.10.2024 तक डाउनलोड की जा सकती है।

जोन आयुक्त
जोन–04 शिवाजी नगर
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

छावनी मुक्तिधाम का वार्षिक रखरखाव

//नियम शर्तें//

1. इस कार्य हेतु इच्छुक सिटी लेवल फेडरेशन को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत नगर निगम में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
2. सिटी लेवल फेडरेशन को फर्म्स एवं सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
3. सिटी लेवल फेडरेशन को नगर निगम भिलाई अंतर्गत अन्य योजनांतर्गत किसी अन्य कार्य का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
4. इस कार्य में भाग लेने के पूर्व एक बार मुक्तिधाम का निरीक्षण कर लिया जावें।
5. सिटी लेवल फेडरेशन को छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप सौंपे गये कार्यो का संपादन करना अनिवार्य होगा।
6. अनुबंधित एजेंसी निर्धारित अवधि तक कार्य नही छोड़ सकेगा न ही किसी अन्य को हस्तांतरण कर सकेगा। यदि अनुबंध के बीच की अवधि में कार्य छोड़ा गया तो पुनः बुलाकर हानि की क्षतिपूर्ति अनुबंध कर्ता से की जा सकेंगी और उनकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा ऑफरकर्ता से कम से कम 2 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज की जावेगी।
7. ऑफर दरदाता द्वारा निविदा दर समस्त कर/टैक्स, सर्विस टैक्स सहित दिया जाना होगा। प्रस्तुत निविदा दर में अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा। देयक के साथ 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि की कटौती होगी जो अंतिम देयक के 6 माह बाद गुण दोष के आधार पर वापस की जावेगी।
8. मुक्तिधाम में दो प्रकार के कार्य के लिए दरें आमंत्रित हैं :–

   अ, मुक्तिधाम का वार्षिक संधारण/संचालन के लिए मासिक दरें संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दी जाये। इसमें निम्न कार्य सम्मिलित हैं।

1. पाथवे, क्यारी, घेरा, खेलकूद की सामग्री, विद्युत उपकरण, जलवाहिनी एवं उसके फिटिन्ग /वाल्व को कार्य प्रारंभ करने के 15 दिवस के अंदर सुधार कर उपयोगी बनाना एवं अनुबंध अवधि तक यथा स्थिति बनाये रखने की जवाबदारी होगी। मात्र विद्युत देयक का भुगतान नगर पालिक निगम, भिलाई करेंगी।
2. फूलों की क्यारी तीनों ऋतुओं में पर्याप्त फूल लगाना, क्यारी में गोल्डन लिफ हैज लगाना।
3. घेरा/फेंसिन्ग/आहाता/गेट/खेलकूद सामग्री/क्यारी/पाथवे गमले इत्यादि का दोनो किनारो तथा आवश्यकता पेंटिन्ग/पुताई माह नवंबर में तथा गमले/क्यारी/पाथवे के किनारों को प्रत्येक तीन माह में किया जाना होगा।
4. परिसर के समस्त कचरे का निष्पादन परिसर में ही करना होगा। इसके लिए कम्पोस्ट पिट का निर्माण आवश्यकतानुसार एजेंसी स्वयं के व्यय से प्रथम माह में ही करेगा। कचरे से निर्मित खाद का विक्रय नही करेगा, उसका उपयोग उद्यान में ही किया जाना होगा। परिसर में वाटर हार्वेस्टिन्ग सिस्टम बनायेगा तथा वर्षा ऋतु के जल का संचय परिसर में होगा।
5. परिसर के बाहर गेट बाजू में 3 X 3 वर्गफूट (दीवार में पेंटिन्ग कर अथवा पृथक से बोर्ड लगाकर) में एजेंसी कार्यरत् कर्मचारी का नाम मोबाईल नंबर/अंकित करके रखेगा।
6. पौधों में आवश्यकतानुसार सहारा (स्टिकिंग) का कार्य करना होगा।

कार्यपालन अभियंता	सहायक अभियंता	उप अभियंता
शिवाजी नगर जोन–04	शिवाजी नगर	शिवाजी नगर जोन–04
नगर पालिक निगम भिलाई	जोन क्र.–4	नगर पालिक निगम भिलाई
	नगर पालिक निगम, भिलाई	

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

अ. परिसर से होकर बहने वाले नाली के पानी का शुध्दिकरण कार्य कर उस पानी का उपयोग साफ–सफाई/सिंचाई में करना होगा।

ब. मुक्तिधाम में अंतिम क्रिया के लिए लाये गये शव का दहन के लिए लगने वाले लकड़ी/गोबर का कण्डे के व्यवस्था दरदाता को स्वयें के व्यय से करना होगा। इस कार्य में गोबर कण्डा बनाना/क्रय करना या लकड़ी क्रय करना मुक्तिधाम तक परिवहन करना, मुक्तिधाम में सुरक्षित रखना, उसे अंतिम संस्कार के लिए यथा आवश्यकतानुसार तैयार करने का कार्य जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृत दर आधार पर दरदाता देयक प्रस्तुत करेगा।

अंतिम संस्कार का विस्तृत विवरण जानकारी का पंजी संधारण निगम द्वारा जारी रसीद बुक में निर्धारित राशि जमा लेना उसे निगम कोष मुख्यालय में जमा करना, मृतक परिवार को जानकारी एक प्रपत्र में भरकर देना इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं, इस पर लगने वाले सभ स्टेशनरी दर दाता स्वयं के व्यय से करेगा।

9. इस कार्य में अनुबंध समाप्ति पर एजेंसी द्वारा लगाये गये सामग्री को वापस नहीं निकालेगा।

10. कार्य के प्रत्येक देयक में शासन के नियमों के तहत् आवश्यक समस्त कटौतिया की जावेगी। प्रत्येक माह देयक का 5 प्रतिशत राशि परफार्मेन्स गारंटी कटौती की जावेगी, जिसे अंतिम देयक के साथ गुण दोष आधार पर वापस किया जावेगा।

11. शासन के नियमों के तहत कार्य में लगे सभी श्रमिकों का श्रम कानुन/पेंशन कानून इत्यादि जो लागु होता है। उन सभी का पालन करना होगा राज्य शासन/केन्द्र शासन/ निगम प्रशासन के समय नियम शर्ते मान्य होगी।

12. परिसर में किसी भी प्रकार की असामाजिक कार्य की गतिविधियां नही होनी चाहिए। किसी प्रकार की घटना पर न्यायालयीन विवाद के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी कर्मचारी/सदस्य की शिकायत होने पर एजेंसी 24 घंटा के अन्दर उक्त को हटाकर अन्य रखेगा।

13. किसी भी उपकरण/उपस्कर/संरचना के तोडे या बदले जाने या नया लगाने के पश्चात् कार्य अनुबंध समाप्ति पर कोई भी सामग्री एजेंसी निकालकर नही ले जायेगा, उसका स्वामित्व नगर निगम का होगा।

14. विज्ञापन आधारित स्वीकृत दरदाता के अतिरिक्त कोई भी दरदाता द्वारा उद्यान में कोई भी विज्ञापन प्रदर्शन नही किया जावेगी, यह अधिकार नगर पालिक निगम, भिलाई के पास सुरक्षित हैं निगम किसी को भी विज्ञापन के लिए आरक्षित कर सकता हैं।

15. संधारण के लिए आवश्यक उपकरण एवं औजार की व्यवस्था दरदाता, एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय से किया जाना होगा। प्रति माह लॉन का कटिन्ग शेलर से करेगा अन्यथा उस माह का भुगतान नही किया जावेगा।

16. कार्य पर लगाये गये श्रमिकों/सदस्यों से पहचान पत्र एन.जी.ओ. दरदाता, समूह, व्यक्ति व एजेंसी को देना होगा। कार्य में लगाये गये श्रमिक, माली, एवं चौकीदार का उपस्थिति पंजी प्रति देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. एन.जी.ओ., दरदाता, समूह व्यक्ति व एजेंसी द्वारा रखे गये कर्मचारियों/सदस्यों के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिंए दरदाता एजेंसी जवाबदार होगा।

18. परिसर में आवश्यकतानुसार डस्टबीन की व्यवस्था (कम से कम 04 नग) एजेंसी को स्वयं के व्यय से ही किया जाना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

19. उच्च अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान में कार्य संतोषजनक नहीं होने व अन्य नियम शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर राशि रू. 1000.00 प्रत्येक द्वौरा पर की कटौती की जा सकेंगी।
20. रखरखाव कार्य यदि संतोषजनक या सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार नहीं पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
21. समस्त कार्य इंजीनियर इन चार्ज के मार्ग दर्शन एवं निर्देशानुसार करना होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
22. उपरोक्त कार्य के संचालन, संधारण में विद्युत एवं अन्य कार्य संबंधी प्राकृतिक आपदा चोरी, तोड–फोड एवं अन्य किसी प्रकार के नुकसानों का संधारण संबंधित एजेंसी को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
23. कार्य के देयकों का भुगतान निगम में उपलब्ध बजट के अनुसार किया जावेगा। भुगतान में समय की बाध्यता नहीं होगी एवं विलंब के लिये कोई अतिरिक्त राशि प्रदान नही किया जावेगा।
24. आवश्यकतानुसार कार्य की समयावधि को कम या अधिक करने का अधिकार आयुक्त के पास सुरक्षित रहेगा।
25. मुक्तिधाम में किये जा रहे कार्य के गुणवत्ता का प्रतिवेदन/टीप अंतिम संस्कार में आये नागरिकों से एक पंजी में उत्तम/बहुत अच्छा/सामान्य का फीडबैक लेना होगा। 80% से कम उत्तम पाये जाने पर निरस्त की कार्यवाही की जा सकेगी।
26. ऑफर के संपूर्ण भाग या किसी भाग को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा तथा इसके विरूध्द किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/दावा मान्य नही होगी।
27. मुक्तिधाम में निर्मित शवदाह शेड, प्रतिक्षालय, चौकीदार कक्ष, शौचालय, भण्डार कक्ष आदि का रख रखाव एवं संधारण करना होगा।
28. मुक्तिधाम में 03 पालियों में चौकीदार रखना अनिवार्य होगा।
29. मुक्तिधाम में आवश्यकतानुसार शवदाह हेतु चिता के लिये लकड़ी सजाने का कार्य ऑफरदाता को अनुभवी व्यक्ति से कराना होगा।
30. मुक्तिधाम में रखे गये श्रमिक, माली, चौकीदार का शवदाह हेतु आये हुए मृतक के परिजनों के साथ कुशल एवं नम्र व्यवहार रखना होगा।

कार्यपालन अभियंता
शिवाजी नगर जोन–04
नगर पालिक निगम भिलाई

सहायक अभियंता
शिवाजी नगर
जोन क्र.–4
नगर पालिक निगम, भिलाई

उप अभियंता
शिवाजी नगर जोन–04
नगर पालिक निगम भिलाई

Scanned with OKEN Scanner